डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ० 20 रु० 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

SDO

मुकाम कामाँ

श्री सुरेश कुमार यादव RAS

इस्माईल बनाम सरकार

द्रावा बावत 8.6.88.1.100

मुकदमा नं० 23/18 सन्

वा मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी वकील प्रतिवादी वकील

मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

[illegible] डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर 223/2/0.45 रिकबा [illegible] खसरा नम्बर 180/0.31, [illegible] कामां पर [illegible] इस्माईल [illegible] [illegible] किया जाता है तथा प्रतिवादी [illegible] किया जावे

आज मुबलिग ×

इस मुकदमे के मय सूद व शहर × को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख दस्तयाबी × तक का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 07 सन 18 को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज०

ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प कागज सबूत	2		महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर	2		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0 23/2018 राजस्व वाद

1– इस्माइल पुत्र मम्मल जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां जिला भरतपुर
वादी

बनाम

1 –हाजरा पत्नि स्व0 इसराइल जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां
– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 R.T. Act

निर्णय

दिनांक 23.07.2018

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा,88,89, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 180/0.31 है0 223/2/0.45 , वाके ग्राम [illegible] तहसील कामां की आराजी मुतनाजा पूर्व में मम्मल पिसर मुतबन्ना शेरखां जाति मेव निवासी लुहेसर तहसील कामां के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हैं जिसने दिनांक 28.[illegible]2010 को आराजी खसरा नम्बर 223/2/0.45 का 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 180/0.31 सालिम को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादी को बेचान कर दिया था वक्त वयनामा आराजी मुतनाजा का मुताबिक बयनामा के अनुसार कब्जा सौंप दिया था वादी मुताबिक बयनामा के आराजी मुतदाविया पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और मौके भी वादी का ही अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा व काश्त है । मम्मल के दो लडके थे जिनमें एक इसरामइल व इसराइल जो फौत हो चुका है जिसकी पत्नि हाजरा प्रतिवादनी है । बयनामा के अनुसारर नामान्तकरण 668 राजस्व रिकार्ड में पटवारी हल्का से सहवन से खाता संख्या 92 खसरा नम्बर 223/2/0.45 का 1/2 हिस्सा इसमाइल पुत्र मम्मल के स्थान पर इसराईल पुत्र मम्मल कर दिया । तथा खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 180/0.31सालिम का अंकन मम्मल के स्थान पर इसमाइल पुत्र मम्मल सही किया गया लेकिन अगली जमाबन्दी सं0 2068–71 में दोनों खसरा नम्बरों के इन्द्राज इसमाइल के स्थान इसराइल कर दिया । इसराइल का देहान्त हो गया है जिसकी विरासत उसकी पत्नि हाजरा पत्नि इसराइल का नाम राजस्व रिकार्ड में आ गया है । जबकि इसराइल का अपने जीवनकाल में उक्त आराजी मुतनाजा का कोई भी सम्बन्ध किसी प्रकर का नहीं रहा है और ना ही उसके वारिसों का कोई भी सम्बन्धि रहा है । इसी प्रकार इन्तकाल नम्बर 798 हकत्याग से दर्ज होने के कारण जमाबन्दी में उसका नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रतिवादनी हाजरा का आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना नहीं है वादी ही आराजी मुतनाजा पर बतौर काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है ।गलत इन्द्राज

उपखण्ड. अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

को कलमजन कराकर अपने आपको मुताबिक बयनामा व इन्तकाल नम्बर 668 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है । विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादनी को डिक्री हुक्म इन्तनाई दबामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित अदालत नहीं आये।वादी द्वारा साक्ष्य में इस्माइल पुत्र मम्मल कौम मेव निवासी लुहेसर तहसील कामा द्वारा शपथ पत्र पेश किया तथा दावे में लिखित तथ्यों को दोहराया तथां इन्ताज पुत्र सहाब खां कौम मेव निवासी ग्राम लुहेसर ने अपने शपथ पत्र में बताया कि विवादित आराजी मुत0 पूर्व में मम्मल पिसरमुतबन्ना शेर खां के कब्जे काश्त की थी मम्मल ने आज से करीब 8 साल पहल विवादित आराजी का बयनामा इस्माइल पुत्र मम्मल कौम मेव निवासी लुहेसर तहसील कामां के हक में करा दिया था वक्त बयनामा कब्जा भी सौंप दिया था बयनामा के बाद विवादित आराजी मुत0 पर इस्माइल पुत्र मम्मल ही काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर इस्माइल का ही कब्जा व काश्त है । इसराईल पुत्र मम्मल ने कभी काश्त नहीं किया है और ना ही इसराईल के फौत हो जाने के बाद उसके बच्चे व पत्नि हाजरा ने काश्त किया है । बल्कि आराजी को इस्माइल ही काश्त करता चला आ रहा है । इसराइल, इस्माइल का ही खास भाई है । नसरू पुत्र जैन खां कौम मेव निवासी लुहेसर द्वारा भी आराजी का कब्जा इस्माइल का ही बताया है । विवादित आराजी मम्मल पिसरमुत0शेरखां के कब्जे काश्त खातेदारी की थी वादी इस्माल ने विवादित अराजी का बयनामा अपने हक में दिनांक 28.6.10 को सब रजिस्ट्रार कामां के यहां पर तस्दीक कराया वक्त बयनामा मम्मल ने आराजी का कब्जा इस्माइल को दिया तभी से वादी इस्माइल आराजी मुतनाजा को शन्ति पूर्ण तरीके से काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर इस्माइल का ही कब्जा काश्त है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्यों के शपथ पत्र का मनन किया गया । पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में सहवन से इस्माइल के साथ इसराइल का अकन हुआ है । वह गलत है । जबकि इसराइल व उसके वारिसों का भी कभी कब्जा नहीं रहा है । हाजरा पत्नि इसराइल के स्थान पर इस्माइल पुत्र मम्मल जाति मेव निवासी लुहेसर का नाम अंकन किया जाना उचित बताया है अतः उपलब्ध रिकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट व साक्ष्यो के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 223/2/0.45 हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 180/0.31 वाके ग्राम कोलरी तहसील कामां पर वादी इस्माइल पुत्र मम्मल जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां को खातेदार घोषित किया जाता है । प्रतिवादनी का चला रहा इन्द्राज को कलमजन किया जाना उचित समझते हैं । ।

अतः आदेश है कि –

वाद वादी का दावा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 223/2/0.45 हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 180/0.31 वाके ग्राम कोलरी तहसील कामां पर वादी इस्माइल पुत्र मम्मल जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामां को खातेदार घोषित किया जाता

उपखण्ड. अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

है । प्रतिवादनी का चला रहा इन्द्राज को कलमजन किया जावे । इस प्रकार डिकी तैयार कर तहसीलदार कामां को वास्ते अंकन किया जाने हेतु भेजी जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जी जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

23.07.18

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां